मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई 2010—श्रावण 7, शक 1932

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2010

क्र. 16016-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2010 (क्रमांक 23 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 29 जुलाई, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, २०१०.

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना.

४. निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार.

५. निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान कराना.

६. अपील.

७. शास्ति.

८. पुनरीक्षण.

९. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१०. नियम बनाने की शक्ति.

११. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, २०१०.

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, २०१० है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) ''पदाभिहित अधिकारी'' से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन सेवा प्रदान करने के लिये इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी;

(ख) ''पात्र व्यक्ति'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा के लिये पात्र है;

(ग) ''प्रथम अपील अधिकारी'' से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(घ) ''विहित'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ङ) ''सेवा का अधिकार'' से अभिप्रेत है, धारा ४ के अधीन निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार;

(च) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा;

(छ) ''द्वितीय अपील प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(ज) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(झ) ''निश्चित की गई समय सीमा'' से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय.

सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना.

३. राज्य सरकार, समय-समय पर, उन सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी जिनको यह अधिनियम लागू होगा.

निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार.

४. पदाभिहित अधिकारी धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को, निश्चित समय सीमा के भीतर ऐसी सेवा प्रदान कराएगा.

निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान कराना.

५. (१) निश्चित की गई समय सीमा, अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए यथा अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को, प्रस्तुत करने की तारीख से प्रारंभ होगी. ऐसे आवेदन की सम्यकरूप से अभिस्वीकृति दी जाएगी.

(२) पदाभिहित अधिकारी उपधारा (१) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निश्चित की गई समय सीमा में या तो सेवा प्रदान करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा और आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित करेगा.

अपील.

६. (१) कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है, आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से तीस दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा:

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिन की कालावधि के अवसान होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था.

(२) प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा.

(३) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध, द्वितीय अपील प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से ६० दिन के भीतर द्वितीय अपील की जा सकेगी :

परन्तु द्वितीय अपील प्राधिकारी, ६० दिन की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था.

(४) (क) द्वितीय अपील प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे या अपील को रद्द कर सकेगा.

(ख) द्वितीय अपील प्राधिकारी सेवा प्रदान कराने के आदेश के साथ धारा ७ के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा.

(५) (क) यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा ५ की उपधारा (१) का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा. इस आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि प्रथम अपील का होता है.

(ख) यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपील प्राधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा. इस आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि द्वितीय अपील का होता है.

(६) प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी को, इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो कि किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) दस्तावेजों का प्रकटीकरण तथा निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा करना.

(ख) पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना; और

(ग) ऐसे अन्य विषय जो कि विहित किए जाएं.

शास्ति. ७. (१) (क) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसी एकमुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ५०० रुपये से कम तथा ५००० रुपये से अधिक नहीं होगी;

(ख) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी ने बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब किया है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसे विलंब के लिए २५० रु. प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो अधिकतम ५००० रुपये हो सकेगी :

परन्तु पदाभिहित अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा.

(२) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से निश्चित समय सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ५०० रुपये से कम तथा ५००० रुपये से अधिक नहीं होगी:

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा.

(३) द्वितीय अपील प्राधिकारी उसके द्वारा यथास्थिति उपधारा (१) या (२) या दोनों में अधिरोपित शास्ति में से ऐसी राशि प्रतिकर के रूप में, जो कि अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को दिये जाने के आदेश दे सकेगा.

(४) यदि द्वितीय अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है तो वह यथास्थिति उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा.

पुनरीक्षण. ८. द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने संबंधी दिये गये किसी आदेश से व्यथित पदाभिहित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश के तारीख से ६० दिन की कालावधि के भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा जो विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था तो वह ऐसे आवेदन को ६० दिन की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

९. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

नियम बनाने की शक्ति.

१०.(१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी.

(२) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाएंगे.

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

११. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न प्रशासकीय विभागों में सिटीजन चार्टर लागू किया गया है. इसके अधीन विभिन्न चिन्हित सेवाओं को समय सीमा में लोगों को प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं.

२. राज्य शासन ने यह आवश्यक समझा है कि चिन्हित लोक सेवाओं के प्रदान की व्यवस्था को अधिनियमित करने से इनके प्रदान को और प्रभावी बनाया जा सकता है. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश की जनता को लोक सेवाओं को प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया जाना उचित होगा.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख २८ जुलाई, २०१०.

शिवराज सिंह चौहान
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड १ (३)- अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि सुनिश्चित किये जाने;

खण्ड ३ - सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई सीमाओं को अधिसूचित किये जाने;

खण्ड ८ - पुनरीक्षण के लिये अधिकारी का नाम-निर्देशन एवं प्रक्रिया विहित किये जाने;

खण्ड १० - अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने;

खण्ड ११ - अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में उत्पन्न कठिनाई दूर करने.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.